

वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सी 105, आनंद निकेतन, साउथ दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021)

- उपर्युक्त याचिकाकर्ता ने 765 केवी वारंगल न्यू सबस्टेशन में एक अतिरिक्त यूनिट (1-पीएच) 80 एमवीएआर रिएक्टर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 से संबंधित पूंजीगत लागत और ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की है।
- विद्युत उत्पादन स्टेशन/ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी इस प्रकार हैं:
 - (ए) तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - (बी) सदर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड
 - (सी) ईस्टर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड
 - (डी) सदर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगना लिमिटेड
 - (ई) नॉर्थर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगना लिमिटेड
 - (एफ) बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (जी) गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (एच) हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (आय) मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (जे) चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (के) केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
 - (एल) विद्युत विभाग, पुडुचेरी सरकार
 - (एम) विद्युत विभाग, गोवा सरकार
 - (एन) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड
- विद्युत-उत्पादन स्टेशन की क्षमता/लाइन की लंबाई, ट्रांसमिशन सिस्टम के बे की संख्या:

अनु.क्र.	मापदंड	क्षमता
1	एक अतिरिक्त युनिट (1-पीएच) रिएक्टर 765 केवी वारंगल न्यू सबस्टेशन	80 एमवीएआर

- परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत (लाख रुपए में): 950 लाख (निवेश संबंधी स्वीकृति के अनुसार)
पूंजीगत लागत की स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण: सीईआरसी
- वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तिथि- 16 फरवरी 2022
- वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि: 12 जून 2024
- वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर पूंजीगत लागत (लाख रुपए में): 649.92 लाख
- टैरिफ का विवरण:

परिसंपत्ति	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवाँ वर्ष
80 एमवीएआर अतिरिक्त रिएक्टर	लागू नहीं	118.06	158.74	156.57	154.47	152.55

- टैरिफ निर्धारण के लिए दायर याचिका की प्रति वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर डाली गई है।
- याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लाभार्थियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को एक प्रति भेजने के साथ आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती हैं।

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक:..... 09.2024

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Size: 12cm (w) x 18 cm (h)